भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 969
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नयन

†969. श्री नवसकनी के.:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्न्त किए गए विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्न्त किए गए विद्यालयों की संख्या कितनी है;
(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रायोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसका उपयोग किया गया; और
(ङ) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है कि स्तरोन्न्त विद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। इस योजना को पुनः तैयार किया गया है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। समग्र शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा

वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिले, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

पिछले **5** वर्षों (**2019-20** से **2023-2024)** के दौरान माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समग्र शिक्षा के तहत अनुमोदित नए/उन्नयन स्कूलों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): पिछले पांच वर्षों में समग्र शिक्षा के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक तक नए/उन्नत स्कूलों की संख्या क्रमशः 343 और 18 है।

(ग): समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं/प्राथमिकता के अनुसार वार्षिक योजनाएँ तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी&बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती हैं। इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों और पहले से स्वीकृत कार्यकलापों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाता है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रबन्ध पोर्टल पर अपलोड/प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत नए/उन्नत किए गए स्कूलों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	नये/उन्नत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	
		आवंटन	व्यय *

1.	2021-22	6881.71	3347.87
2.	2022-23	14038.22	7985.14
3.	2023-24	16582.39	1383.00
कुल		**37502.32**	**12716.01**

*इसमें केंद्रीय हिस्सा, राज्य हिस्सा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

स्रोतः प्रबंध

(ङ): समग्र शिक्षा के पास कार्यकलापों के इष्टतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक निगरानी और मूल्यांकन तंत्र है। ये नीचे दिए गए हैं:

- **प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0**: प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) 2.0 का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बहुआयामी कार्यकलापों को करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे सभी आयामों को कवर करते हुए बहुप्रतीक्षित इष्टतम शिक्षा परिणाम सामने आएंगे। प्रगति पर उचित नज़र रखने के लिए संकेतकों को एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के बाद शुरू की गई नीतिगत पहलों और कार्यकलापों के साथ अनुकूलित किया गया है।

- **यूडाइज+**: यह शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज) का उन्नत एवं अद्यतन संस्करण है। संपूर्ण प्रणाली ऑनलाइन है। यूडाइज + के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार हैं: साक्ष्य आधारित योजना और निर्णय लेना: स्कूल के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए डेटा विश्लेषण: वर्षों से प्रवृत्ति का अध्ययन करने और सुधार और विकास की निगरानी करने के लिए समय श्रृंखला डेटा: साक्ष्य के आधार पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण पर ध्यान रखना।

- **परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग प्रणाली (प्रबंध):** एक व्यापक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, प्रबंध, विकसित की गई है और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जारी धनराशि की स्थिति, अनुमोदित परिव्यय, यूडाइज के अनुसार शामिल, स्कूल-वार अनुमोदनों की सूची, स्कूल-वार कमी आदि देख सकते हैं। इस प्रणाली को समग्र शिक्षा के तहत विकसित किया गया है, जो योजना की कार्यकुशलता बढ़ाने और कार्यान्वयन के कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- **बीआरसी/सीआरसी का सुदृढ़ीकरण**: ब्लॉक संसाधन केंद्र और क्लस्टर संसाधन केंद्र स्कूलों और शिक्षकों को प्रशिक्षण और ऑन-साइट सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं और प्रशासनिक पहलुओं का निरीक्षण करने के लिए स्कूलों का समय-समय पर निरीक्षण और पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक उन्नयन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या सहायता की एक उचित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

- **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस)** शैक्षिक प्रणाली की स्थिति की जांच करने तथा विद्यार्थियों की शिक्षण उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किए जाते हैं।

- **लेखापरीक्षा तंत्र**: योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए,इसमें मजबूत निगरानी प्रणालियां मौजूद हैं, जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के पैनल में शामिल एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा, सीएजी द्वारा नियमित लेखा परीक्षा, समवर्ती वित्तीय समीक्षाओं की एक प्रणाली, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें भी शामिल हैं। वित्तीय प्रबंधन और खरीद पर एक मैनुअल भी राज्यों को कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है।

• **सामाजिक लेखा परीक्षा**: सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यान्वयन की जांच, निगरानी और सत्यापन करना। समग्र शिक्षा के सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया है और सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए प्रति वर्ष 20% सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

• **प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई)**: समग्र शिक्षा के प्रत्येक घटक के लिए योजना कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए मापने योग्य प्रमुख प्रदर्शन संकेतक विकसित किए गए हैं। ये केपीआई एनईपी 2020 की विशिष्ट सिफारिशों के साथ भी अनुकूलित हैं।

• **सामुदायिक स्तर पर निगरानी**: कार्यक्रम के तहत निगरानी तीन स्तरों पर की जाती है: स्थानीय समुदाय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी। समुदाय आधारित निगरानी कार्यक्रम की विशेषताओं में से एक है। समुदाय को स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) जैसी अपनी प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि स्कूल प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

• **हितधारकों के साथ आवधिक बैठकें**: शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए शिक्षा सचिवों और राज्य परियोजना निदेशकों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करता है।

*****

अनुलग्नक

"समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री नवसकानी के. और श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 969 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नए/अपग्रेड किए गए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
1.	अरुणाचल प्रदेश	2
2.	असम	27
3.	छत्तीसगढ	8
4.	जम्मू और कश्मीर	6
5.	कर्नाटक	6
6.	लद्दाख	3
7.	मणिपुर	18
8.	मेघालय	15
9.	मिजोरम	44
10.	नागालैंड	7
11.	ओडिशा	149
12.	पुदुचेरी	1
13.	पंजाब	12
14.	राजस्थान	3
15.	सिक्किम	5
16.	तमिलनाडु	1
17.	त्रिपुरा	6
18.	उत्तर प्रदेश	47
19.	उत्तराखंड	1
कुल		**361**

स्रोत: प्रबंध

*****